(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)16/1999-Nargu Dated as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-16/1999- Nargu Dated: Shimla-2, the 29 November 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)-16/99 dated 23rd October, 1999, to declare **Nargu as Wildlife Sanctuary** comprising of an area of 278.00 sq. km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of the Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, the Intention Notification under section 18(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 was issued vide Notification No.FFE-B-F(6)-11/2005 dated 28th July 2010 to include an area of 40.00 sq. km to the existing area of 278.00 sq. km of **Nargu Wildlife Sanctuary;**

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, before issuance of the final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013 passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of the Nargu Wildlife Sanctuary, an additional area of 63.413 sq. km is included and 209.4285 sq. km area is excluded as per recommendations of Collector, Kullu instead of inclusion of 40.00 sq. km and exclusion of 218.00 sq. km proposed under rationalization process (comprising 88 villages list attached as Annexure-I) from the existing area of 278.3886 sq. km on ground of Nargu Wildlife Sanctuary. The total area of 132.3731 sq. km (278.3886 sq. km + 63.413 sq.km – 209.4285 sq. km) shall now constitute the **Nargu Wildlife Sanctuary** after rationalization;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Act ibid is pleased to declare the aforesaid area of 132.3731 sq. km as 'Nargu Wildlife Sanctuary' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment;

The limit of the **Nargu Wildlife Sanctuary** shall be as under:

Sr. No	Name of WL Sanctuary	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of the **Nargu** Wildlife Sanctuary
1.	**Nargu Wildlife Sanctuary**	i) Kullu ii) Kullu (WL)	**NORTH:** The boundary starts from Chakrola thach in Deodhar P.F. and moves along the ridge / boundary of Deodhar P.F. upto SOI bench Mark 4034 mtrs. Shirar-ra-Tibba then boundary moves upper side along with districts boundary via SOI bench Mark 4042 mtrs., 4210 mtrs upto 4603 mtrs. near Garalatinu Galu.

			EAST: From near Garalatinu Galu the boundary moves downside and follows the boundary of Gordug PF thence follows the boundary of Chebanag PF upto SOI bench Mark 2582 mtrs. to Kelakarao thach thence to Malidug thach to near SOI bench Mark 2459 mtrs. thence along boundary of Sapurnal PF Gohang PF upto FRH Karaun. From Karaun FRH and follows the PF boundary in Bhubbunal PF thence along Jamupani PF and Lang thach PF thence along Jonga RF boundary to Matiana PF boundary and near stream upto its confluence with Paha nala upto the boundary of Khokhan Sanctuary and moves along the boundary of Khokhan Sanctuary upto via survey of India bench mark 2328 mtrs, 2787 mtrs upto 2659 mtrs. on common boundary of Kullu and Mandi districts. **SOUTH:** The boundary start from SOI bench mark 2659 mtrs. and then moves along the boundary of Bagi PF and Kundakh PF upto near SOI bench mark 1713 mtrs. **WEST:** Boundary moves along the boundary of Kundakh PF, Mandra PF, Hathipur PF, Hirbannal PF, Rias PF, Bhubbunal PF, Riunsinal PF, Rahlkhand PF, Daint PF, Damwangahr PF, Shamalang PF, Garamangahr PF, Pajaundgarh PF, Jhakwangahar PF, Kasambalshil PF and then moves with the boundary of Deodhar PF upto Chakrola thach.

This area is situated within the Geo-coordinates. **North** latitude 32^0 06' 49" N and longitude 76^0 56' 35" E, **East** latitude 31^0 52' 54" N and longitude 77^0 04' 50" E, **South** latitude 31^0 48' 42" N and longitude 77^0 02' 41" E, **West** latitude 32^0 01' 39" N and longitude 76^0 51' 31" E. This area falls on Survey of India topo sheet No. 52D/16, 52H/4, 53A/13 & 53E/1 of scale 1:50,000.

Area of Nargu Wildlife Sanctuary= 132.3731 sq. km

By Order,

Principal Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

Endst. No. FFE-B-F(6)-16/99 Dated: Shimla-2, the 29 November, 2013

Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
4. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All the Chief Conservator of Forests / Divisional Forest Officers (Wildlife) in Himachal Pradesh.
7. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
8. All the Chief Conservator of Forests /Divisional Forest Officers in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Controller, Himachal Pradesh, Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Rapatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) Five Copies of the Rajpatra be sent to this Department.
11. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Annexure-1

List of villages to be excluded from Nargu Wildlife sanctuary

S..No..	Name of Villages
1.	Boaching
2.	Kadhyan
3.	Lapas
4.	Kashamal
5.	Sachan
6.	Gurahala
7.	Rangan
8.	Rulang
9.	Galu
10.	Dharangan
11.	Thuji
12.	Lachhyan
13.	Bardhan
14.	Lachkandi
15.	Katyan
16.	Mathyana
17.	Kuljhan
18.	Chellang
19.	Dhamchyan
20.	Bajot
21.	Singhdhar
22.	Bhamchawan
23.	Gahang
24.	Khaban
25.	Sarwan
26.	Badi Bajgain
27.	Kharyan
28.	Madharwan
29.	Latran
30.	Marh
31.	Mathi Bajgain
32.	Graman
33.	Terrange/Rajban
34.	Panjaund
35.	Tarsawan
36.	Garhgaon
37.	Samalang
38.	Dhagwan dhar
39.	Duman
40.	Dharmehar
41.	Dhar
42.	Draggadi

43.	Ghunag
44.	Pekhara
45.	Ropa
46.	Sagnal
47.	Drun
48.	Chhuchhal
49.	Nog
50.	Kashala
51.	Tarela
52.	Dhanwan
53.	Silh Badhwan
54.	Kungri
55.	Graman
56.	Tihri
57.	Kortang
58.	Kasehar
59.	Swar
60.	Alang
61.	Sudhar
62.	Tikker
63.	Dhangyan
64.	Farehar
65.	Kalangehar
66.	Kampana
67.	Ghagtyan
68.	Bulang
69.	Kathog
70.	Hurang
71.	Bhatehad
17 Villages from Mandi Division	
72.	Mandrun (Kataula)
73.	Padhar
74.	Batheri
75.	Alanga
76.	Arnu
77.	Sargalwah
78.	Nandal
79.	Kataula
80.	Dharlog
81.	Badendhar
82.	Jhankidhar
83.	Kundak
84.	Badaun
85.	Khanar
86.	Katahar
87.	Dangahar
88.	Kamand

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्याः एफ.एफ.ई.–बी–एफ.(6)–16/1999–नारगु   तारीख शिमला–2, 29 नवम्बर, 2013

अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई.–बी–एफ.(6)–16/99 तारीख 23–10–1999 द्वारा 278.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र **नारगु** को वन्य जीव अभ्यारण्य के रुप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए नं0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल नं0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमैंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ–I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई–बी–एफ.(6)11/2005 तारीख 28 जुलाई, 2010 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18(1) के अधीन, **नारगु वन्य जीव अभ्यारण्य** के 40.00 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को 278.00 वर्ग किलामीटर के विद्यमान क्षेत्र में सम्मिलित करने के आशय की अधिसूचना जारी की गई थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5–8–2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अंतिम अधिसूचनाएं जारी करने से पूर्व, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रकिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रकिया का सम्यक् रुप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1–2–2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और **नारगु वन्य जीव अभ्यारण्य** की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरुप नारगु वन्य जीव अभ्यारण्य के मौके पर 278.3886 वर्ग किलोमीटर के विद्यमान क्षेत्र से, युक्तिकरण प्रकिया (उपाबन्ध–I के अनुसार संलग्न 88 गांवों की सूचि में समाविष्ट) के अधीन, प्रस्तावित 40.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित करने और 218. 00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को निकाल देने के बजाए उपायुक्त, कुल्लू की सिफारिशों के अनुसार 63.413 वर्ग कि0मी0 का अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित किया गया है और 209.4285 वर्ग कि0मी0 के क्षेत्र को निकाल दिया है । युक्तिकरण के पश्चात् अब 132.3731 वर्ग कि0मी0 (278.3886 वर्ग कि0मी0+63.413 वर्ग कि0मी0 –209.4285 वर्ग कि0मी0) के कुल क्षेत्र से नारगु वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन होगा;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम, की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, शेष 132.3731 वर्ग किलोमीटर के उपर्युक्त क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से **नारगु वन्य जीव अभ्यारण्य** घोषित करती हैं ।

नारगु वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम सं0	वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	नारगु वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
1	**नारगु**	i) कुल्लू/ मण्डी ii) कुल्लू (वन्य जीव मण्डल)	**उत्तरः** सीमा दयोधार संरक्षित वन क्षेत्र के चकरोला थाच से प्रारम्भ होकर धार के साथ–साथ दयोधार संरक्षित वन सीमा से होती हुई भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 4034 मीटर शिरार–रा–टिब्बा उसके बाद सीमा ऊपर की और जिला की सीमा के साथ–साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 4042 मीटर, 4210 मीटर से होती हुई 4603 मीटर नजदीक गरालाटिन्नू गलू तक । **पूर्वः** सीमा नजदीक गरालाटिन्नू गलू से शुरु हो कर नीचे

			की ओर गोरढुग संरक्षित वन सीमा के साथ उसके बाद चैबांग संरक्षित वन की सीमा पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 2582 मीटर तक से केलाकरो थाच से मालीढुग थाच नजदीक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 2459 मीटर उसके बाद सपुरनाल संरक्षित वन व गोहांग संरक्षित वन सीमा के साथ–साथ वन विश्राम गृह करोन तक उसके बाद संरक्षित वन की सीमा के साथ–साथ भुबूनाल संरक्षित वन की सीमा से होती हुई जम्मूपानी संरक्षित वन और लंग थाच संरक्षित वन के साथ–साथ जोंगा आरक्षित वन सीमा से होती हुई मटियाना संरक्षित वन सीमा के साथ और नजदीक पाहा नाला में नाले के मिलान बिन्दू तक उसके बाद खोखन वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के साथ–साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 2328 मीटर, 2787 मीटर से 2659 मीटर कुल्लू और मण्डी जिला की संयुक्त सीमा पर । **दक्षिण :** सीमा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 2659 मीटर से शुरु होती हुई और बागी संरक्षित वन और कुन्डख संरक्षित वन के साथ–साथ नजदीक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैंचमार्क 1713 मीटर तक । **पश्चिमः** सीमा कुन्डख संरक्षित वन, मांदरा संरक्षित वन, हाथीपुर संरक्षित वन, हीरबननाल संरक्षित वन, रियास संरक्षित वन, बुबूनाल संरक्षित वन, रियून्सीनाल संरक्षित वन, रहालखण्ड संरक्षित वन, डेंट संरक्षित वन, दमवांगहर संरक्षित वन, शामलंग संरक्षित वन, ग्रामंगहर संरक्षित वन, पजाउंडगहर संरक्षित वन, झाकवांगहर संरक्षित वन, कसामबलशील संरक्षित वन व दयोधार संरक्षित वनों की सीमा के साथ–साथ चकरोला थाच तक ।

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितिः **उत्तर** अक्षांश 32^0 06′ 49″ उत्तर और देशान्तर 76^0 56′ 35″ पूर्व । **पूर्व** अक्षांश 31^0 52′ 54″ उत्तर और देशान्तर 77^0 04′ 50″ पूर्व । **दक्षिण** अक्षांश 31^0 48′ 42″ उत्तर और देशान्तर 77^0 02′ 41″ पूर्व और पश्चिम अक्षांश 32^0 01′ 39″ उत्तर और देशान्तर 76^0 51′ 31″ पूर्व यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 52डी / 16, 52एच / 4, 53ए / 13 व 53ई / 1 (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाया गया है ।

नारगु वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफलः 132.3731 वर्ग कि0मी0 ।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृ0 संख्याःएफ.एफ.ई.–बी–एफ.(6)–16/1999-- नारगु तारीख शिमला–2, 29 नवम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश–शिमला--2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला–1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश–शिमला–1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/ वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला--5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
11. गार्ड फाइल ।

अवर सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध–1

गांव की सूची जो नारगू वन्य जीव अभ्यरण्य से बाहर किये जाने हैं ।	
कम संख्या	गांव का नाम
1.	वोचिंग
2.	कढयान
3.	लपास
4.	कशामल
5.	सचान
6.	गुरहाला
7.	रंगन
8.	रुलंग
9.	गलू
10	धांगण
11	थूजी
12	लछयाण
13.	वर्धान
14.	लचकंडी
15.	कतयांन
16.	मथयाणा
17.	कुलझन
18.	चेलंग
19	धमच्याण
20	बजोट
21	सिंगधार
22.	भमचयाण
23	गांहग
24	खावन
25.	सरवान
26.	बडी वजगैण
27	खरयान
28	मधरवाण
29.	लतरान
30	मरह
31.	माटी वजगाईं
32	ग्रामण
33	तरांग / राजवन

34	पंनजौड
35	तरसवान
36	गढगगांव
37.	समालंग
38	धगवान धार
39	डूमन
40	धरमेहर
41	धार
42	दरागगदी
43	घुंनाग
44	पेखरा
45	रोपा
46.	सगनाल
47	दरून
48	छूछाल
49	नोग
50	काशला
51	तरेला
52	धनवान
53	शीलह वधान
54	कुंगरी
55	ग्रामन
56	तिहरी
57	कोरतंग
58	कसेहर
59	सवाड
60	आलंग
61	सुधार
62	टीक्कर
63	धंगयाण
64	फरेहर
65	कांलगेहर
66	कम्पना
67	धगतयान
68	बुलंग
69	कथोग
70	हुरंग
71	भटेहड

वन मण्डल मण्डी से बाहर निकलने वाले 17 गांव की सूचि	
क्रम संख्या	**गांव का नाम**
72	मंदरु (कटौला)
73	पद्धर
74	बथेरी
75	अलगां
76	अरनू
77	सरगालवाह
78	नंदल
79	कटौला
80	धरलोग
81	बडेनधार
82	झानकीधार
83	कुण्डक
84	बडौन
85	खनार
86	कटाहर
87	डंगाहर
88	क्मांद